PUBLIC NOTICE ON GAZETTE NOTIFICATION

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i))

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi dated 2.4.2009

G.S.R. 233(E) The following draft of certain rules further to amend the Redressal of Public Grievances Rules, 1998, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (1), section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Third Floor, Jeevan Vihar, Parliament Street, New Delhi-110001.

1 (1) These rules may be called the Redressal of Public Grievances (Amendement) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Redressal of Public Grievances Rules, 1998, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Pay and Allowances of Ombudsman – (1) The Ombudsman shall be allowed a fixed pay of Rupees Eighty Thousand per month and any pension to which he is entitled from the Central Government or a State Government or any other organisation or institution shall be deducted from his salary.

(2) The effective date for application of the revised pay and admissibility of other allowances and perquisites shall be such as may be determined by the Central Government."

(F.No. 56/32/2008-Ins.I)
Tarun Bajaj. Jt.Secy.

Foot Note:- The Principal rules were published under Notification No. G.S.R. 670(E) dated the 11th November, 1998 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R.No.752(E) dated the 18th December, 1998.
2. G.S.R. No.448(E) dated the 21st June, 1999.

राजपत्र अधिसूचना के संबंध में सार्वजनिक सूचना

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग
(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 02 अप्रैल, 2009

सा0का0नि0 233(अ) लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसका उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, तीसरा तल, जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 को भेजे जा सकते हैं ।

1. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक शिकायत निवारण (संशोधन) नियम, 2009 है ।
   (2) ये, उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. आम्बड्समैन का वेतन और भत्ते-- (1) आम्बड्समैन को, प्रतिमास अस्सी हजार रुपए का नियत वेतन अनुज्ञात किया जाएगा और किसी पेंशन की, जिसके लिए वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संगठन या संस्था से हकदार है, उसके वेतन से कटौती की जाएगी ।

(2) पुनरीक्षित वेतन और अन्य भत्तों तथा परिलब्धियों की स्वीकार्यता को लागू करने की प्रभावी तारीख वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।"

(फा0सं056/32/2008-बीमा.I

(तरुण बजाज)
संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण - मूल नियम, अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 670(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1998 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए--

1. सा0का0नि0 सं0 752(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 1998
2. सा0का0नि0 सं0 448(अ), तारीख 21 जून, 1999।